

[दि डाइवर्सी वीमन वेल्फेयर बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ० उदित राज, संसद सदस्य

का

तलाकशुदा महिला कल्याण विधेयक, 2018

तलाकशुदा महिलाओं अथवा पति से अलग रह रही महिलाओं के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले
अनुरक्षण और कल्याण उपायों तथा तत्संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों
का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तलाकशुदा महिला कल्याण अधिनियम, 2018 है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख को लागू होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ।

परिभाषाएं।

(क) “सलाहकार समिति” से धारा 3 के अंतर्गत गठित तलाकशुदा महिला कल्याण सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ख) “समुचित सरकार” से राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ग) “तलाकशुदा महिला” से ऐसी महिला अभिप्रेत है जिसका विवाद हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन, अथवा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 और 28 के अधीन, अथवा भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अधीन अथवा मुस्लिम स्वीय विधि के अधीन समाप्त हो गया है अथवा जो किसी अन्य कारण से अपने पति से अलग रह रही है और जिसकी सहायता करने के लिए कोई संबंधी नहीं है अथवा जिसके पास अपने स्वयं के और अपने ऊपर आश्रित अवयस्क संतान के जीवन-निर्वाह के लिए आजीविका का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है;

(घ) “निधि” से धारा 5 के अधीन गठित तलाकशुदा महिला कल्याण निधि अभिप्रेत है; और

(ङ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

सलाहकार समिति का गठन।

3. (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के प्रयोजन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्येक जिले में तलाकशुदा महिला कल्याण सलाहकार समिति का गठन करेगी।

(2) जिला कलेक्टर उस सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य समुचित सरकार द्वारा उस रीति से नाम-निर्देशित किए जाएंगे, जो विहित की जाए।

(3) प्रत्येक सलाहकार समिति में उतनी संख्या में सदस्य और समाज की निराश्रित और असहाय महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा इस रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

सलाहकार समिति के कार्य।

4. सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्य करेगी,—

(i) तलाकशुदा महिलाओं के लिए कल्याण उपायों को बढ़ावा देना;

(ii) इस अधिनियम के अधीन तलाकशुदा महिलाओं की पात्रता की जांच करना और उनको सुविधाएं दिए जाने के लिए समुचित सरकार को सिफारिश करना;

(iii) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित कल्याण उपायों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करना; और

(iv) ऐसे अन्य कार्य करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो इसे समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

तलाकशुदा महिला कल्याण निधि का गठन।

5. (1) केन्द्रीय सरकार तलाकशुदा महिलाओं के लिए कल्याण उपाय करने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन से एक निधि का गठन करेगी, जिसे तलाकशुदा महिला कल्याण निधि कहा जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर उस अनुपात में जो विहित की जाए, निधि में पर्याप्त निधियों का अंशदान करेंगी।

तलाकशुदा महिलाओं को सुविधाएं।

6. (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के दायरे में आने वाली महिलाओं को सलाहकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी, अर्थात्:—

(क) न्यूनतम जीवन-स्तर के निर्वाह के लिए मासिक भत्ता;

(ख) निःशुल्क आवासीय सुविधा;

(ग) आश्रित बच्चों को तकनीकी शिक्षा सहित निःशुल्क शिक्षा;

(घ) निःशुल्क चिकित्सा सहायता;

(ड) लाभप्रद रोजगार;

(च) निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा, जहां कहीं आवश्यक हो;

(छ) ऐसी अन्य सुविधाएं जो उसके पुनर्वास, समुचित विकास और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हों:

5 परंतु यह कि यदि इस अधिनियम के दायरे में शामिल किसी महिला को या तो लाभप्रद रोजगार प्राप्त हो जाता है अथवा वह फिर से विवाह कर लेती है, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे और उसके आश्रित बच्चों को प्रदान की गई सभी सुविधाएं उस तारीख से, जिस तारीख से उसे लाभप्रद रोजगार हासिल हुआ है अथवा उसने पुनर्विवाह किया है, जो भी स्थिति हो, वापस ले ली जाएंगी।

10 7. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

15 (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सभाएं उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे निष्प्रभावी करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच तलाक के कारण पैदा होने वाले आर्थिक प्रभावों के मामले में काफी असमानता है। पुरुष तलाक से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं जबकि महिलाएं, विशेषकर वे महिलाएं जिनके बच्चे हैं, “स्वयं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास जुटा पाने में कठिनाई महसूस करती हैं।” प्रायः ऐसी महिला मदद के लिए अपने माता-पिता के परिवार पर निर्भर करने में सक्षम नहीं होती हैं क्योंकि कई माता-पिता यह मान लेते हैं कि उसकी शादी करके और उसके लिए दहेज देकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। तलाक के बाद दहेज वापस नहीं लौटाया जाता। तलाक को सामाजिक कलंक माने जाने के कारण भी महिलाओं को पुनर्विवाह करने में कठिनाई होती है और इसलिए वे आम तौर पर स्वतंत्र घर बसाने की कोशिश करती हैं।

हालांकि तलाक का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे एक कलंककारी कृत्य माना जाता है। इस मामले में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक बेरुखी से देखा जाता है। भारतीय समाज में अब भी ऐसे वर्ग हैं जो मानते हैं कि चाहे पति कितना ही गाली-गलौज करता हो या व्यभिचारी हो, लेकिन तलाक कभी भी सही विकल्प नहीं है। यह बात महिलाओं को और भी ज्यादा नामंजूर है। तलाकशुदा महिला अक्सर अपने माता-पिता के घर लौट आती हैं, लेकिन उसका पूरे मन से स्वागत नहीं होता। यदि उसके बच्चे हों तो वह उससे उस परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है और अक्सर उससे तुच्छ माने जाने वाले घरेलू कार्य कराए जाते हैं। यह जोखिम भी रहता है कि तलाकशुदा महिला की मौजूदगी से घर की दूसरी बेटियों के विवाह की संभावना पर विपरीत प्रभाव न पड़े। निरपवाद रूप से, तलाकशुदा महिला को अपने साथ रखने वाले परिवार और घर की कुल मिलाकर स्थिति बदतर हो जाती है। किसी महिला का वर्ग और उसकी जाति भी समाज में उसकी वापसी की स्वीकार्यता के लिए एक बड़ा कारक है। ऊंचे वर्गों की महिलाओं को तलाक के बाद सामाजिक व्यवस्था में वापस लौटने में मध्य या निम्न वर्ग की महिलाओं की तुलना में आसानी होती है। इस स्थिति का एक अपवाद समाज के सबसे निचले वर्ग में दिखाई देता है जहां तलाक के बाद महिलाओं को अस्वीकार्यता का सामना कम ही करना पड़ता है। ऐसा समाज में उनके पहले से ही निम्न दर्जे के कारण होता है।

जैसा कि निर्धन परिवारों में, जिनकी संख्या अधिक है, आम तौर से यह होता है कि वे अपनी अविवाहित बेटियों या बहनों की सहायता कर पाने की स्थिति में नहीं होते। गरीब परिवारों द्वारा कम उम्र की लड़कियों के विदेशी पर्यटकों के साथ संदेहपूर्ण ‘विवाह’, विभिन्न समुदायों की युवतियों की लगातार ‘बिक्री’, तलाक के बाद गरीब महिलाओं द्वारा आत्महत्या किए जाने और उनकी अभावग्रस्तता से यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि उनके माता-पिता अथवा अन्य सगे-संबंधी उनका भरण-पोषण कर पाने में असमर्थ हैं।

इससे भी अधिक अव्यावहारिक, अवास्तविक और अनुचित यह आशा करना है कि कोई तलाकशुदा महिला अपने भरण-पोषण के लिए अपने माता-पिता/अन्य सगे-संबंधियों पर मुकदमा करे। यह जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अपने पिता की संपत्ति में बेटियों के विरासत के अधिकार का आम तौर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं अपने भाइयों के खिलाफ मुकदमा करना उचित नहीं मानती हैं। जमीनी स्तर के शोध से इस बात के काफी प्रमाण मिले हैं कि अपने पैतृक परिवारों पर निर्भर विधवा, तलाकशुदा अथवा पति द्वारा त्याग दी गई महिलाओं का जीवन, विशेषकर माता-पिता की मृत्यु के बाद असहनीय हो जाता है। इसके अलावा, सभी समुदायों की निर्धन महिलाओं के बीच किए गए सामाजिक अनुसंधान से पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि पतियों और पिताओं की बढ़ती गैर-जिम्मेदारी एक चिंताजनक समस्या है। यह प्रश्न भी पूछे जाने की जरूरत है कि भाइयों के ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली जानी चाहिए, जबकि तलाक के लिए (अधिकांश मामलों में) उत्तरदायी पति इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिए जाते हैं? इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों की निरक्षरता और पारंपरिक रवैये के कारण तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति अधिक शोचनीय है और वहां उनका अधिकतम शोषण होता है।

हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और इसलिए तलाकशुदा महिलाओं को शोषण से मुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान किया जाना आवश्यक होगा ताकि वे समाज में सम्मानजनक रूप से जी सकें। इस प्रयोजन से तलाकशुदा महिला कल्याण निधि का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि गरीबी के कारण किसी भी तलाकशुदा महिला का जीवन दयनीय न बने जिसकी वजह से समाज के विवेकहीन तत्व स्थिति का नजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और समाज में महिलाओं के जीवन को अपमानजनक बना देते हैं।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
1 फरवरी, 2018
12 माघ, 1939 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 में समुचित सरकार द्वारा तलाकशुदा महिला कल्याण सलाहकार समिति के गठन का उपबंध है। खण्ड 5 में तलाकशुदा महिला कल्याण निधि के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें यह उपबंध भी है कि केन्द्रीय सरकार तलाकशुदा महिला कल्याण निधि में अभिदाय करेगी। खण्ड 6 में तलाकशुदा महिलाओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का उपबंध है।

यदि यह विधेयक अधिनियमित हो जाता है, तो इस पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस पर भारत की संचित निधि से पचास करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8 इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

तलाकशुदा महिलाओं अथवा पति से अलग रह रही महिलाओं के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले
अनुरक्षण और कल्याण उपायों तथा तत्संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का
उपबंध करने के लिए
विधेयक

(डॉ० उदित राज, संसद सदस्य)